मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- ईलाज के नाम पर ठगने वाले ईएसआई निगम के विरुद्ध मज़दूरों का संघर्ष — 3
- विचारहीनता के दलदल में बदलाव कैसे ? — 4
- जामा मस्जिद में बुखारी गैंग की बेलगाम गुंडागर्दी — 4
- आरएसएस की 'देशभक्ति' के शोर का सच — 5
- नवीन नगर में भू-माफ़िया का धंधा ज़ोरों पर, मुख्यमंत्री लाचार — 8

वर्ष 29 | अंक 17 | फरीदाबाद, शनिवार 16-31 जुलाई 2016 | फोन : - 9999595632 | 2 ₹

डीआईजी भारती अरोड़ा अब गाय भी चरायेंगी

मज़दूर मोर्चा, चण्डीगढ़

संघ प्रचारक मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का राज क्या सम्भाला प्रदेश में गायों के बेखौफ़ घुमने व चरने के लिये पुलिस लगा दी गयी है। खट्टर के आदेश पर डीआईजी भारती अरोड़ा के नेतृत्व में करीब 260 पुलिसकर्मियों की एक पलटन इस काम के लिये तैनात कर दी गयी है। इस काम के लिये भारती अरोड़ा का मुख्यालय गुड़गांव के भोंडसी में रहेगा। इसके लिये एक हैल्पलाइन भी घोषित कर दी गयी है, यदि कोई गौ तस्कर अथवा गौ-शत्रु किसी गाय के निर्बाध विचरण में व्यवधान उत्पन्न करता हो अथवा उसे पकड़ कर कहीं ले जाता हो तो हैल्पलाइन पर फ़ोन करने के आधे घंटे के भीतर भारती अरोड़ा की पलटन मौके पर पहुंच कर उचित कार्यवाही करके गौ माता के अधिकारों की रक्षा करेगी। यह बात दीगर है कि एनआईटी के 5 नम्बर से खुद एक थानेदार फ़ोन कर-कर के पुलिस मदद मांगे तो उसे पहुंचने में 50 मिनट लगते हैं; परन्तु गौ माता के लिये 30 मिनट में पुलिस मदद भेजने का वायदा घोषित किया गया है।

गौ-रक्षा के नाम पर साम्प्रदायिकता फ़ैलाने व गुंडागर्दी के लिये जगह-जगह व तरह-तरह के बने गौ रक्षक दलों को समाप्त करके होमगार्ड की तर्ज पर बाकायदा एक सुसंगठित बल बनाया जायेगा जो भारती अरोड़ा की पलटन को मदद करेगा। यह घोषणा राज्य के गौ रक्षा आयोग के चेयरमैन भानी राम ने यहां पत्रकारों को बताई। 'भूखे भजन न होय गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भानी राम ने राज्य में होने वाले प्रत्येक शादी समारोह पर 2100 रुपया का एक गौ माता टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न ज़िलों में गौशालाओं के नाम पर 100 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक भूमि भी आवंटित की जायेगी। गौशालाओं के नाम पर घोषित सरकारी ग्रांटों के अलावा मलाईदार ओहदों पर बैठे सरकारी अफ़सरों के ज़िम्मे भी इसी मद में लूट-खसूट का कम अलग से लगाया जायेगा।

नौकरी करनी है, गाय चरवा लो चाहे बच्चे पढ़वा लो

सरकार यह भी मान कर चल रही है कि लावारिस गायों के अलावा पालतू गायों को भी लोग दूध निकाल कर सड़कों-बाज़ारों में घूमने के लिये छोड़ देते हैं। इनके लिये सरकार घोषणा तो करती रहती है कि पकड़े जाने पर इन गायों को छोड़ने के एवज में 5100 रुपया जुर्माने के अतिरिक्त 150 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चारे का खर्च अलग से वसूला जायेगा। लेकिन भ्रष्ट एवं नाकारा सरकारी मशीनरी इसे कभी अमल में नहीं ला पाई। यदि इस व्यवस्था पर अमल होने लगे तो कम से कम गायों की आधी संख्या तो जरूर सड़कों से हट जायेगी और शेष को पहले से चल रही गौशालाओं में भेजा जा सकता है। परन्तु यहां काम करने की बजाय काम के नाम पर नौटंकी करने व लूट कमाई के साधन खोजने पर ज़्यादा ध्यान रहता है।

धन उगाही के लिये भानी राम द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में सिनेमा टिकट पर भी गौ-माता टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। विदित है कि कुछ समय पूर्व शराब पर भी एक रुपया प्रति बोतल ऐसा ही टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे यह कह कर ठुकरा दिया गया कि शराब के पैसे से गौ सेवा नहीं की जानी चाहिये। उसके बाद ही विवाह समारोह तथा सिनेमा पर गौ टैक्स की बात सामने आई है।

दरअसल सड़कों बाज़ारों से आवारा पशुओं-गायों व कुत्तों को हटाने जैसा एक साधारण सा काम न तो पहले की सरकारों से हो पाया और न ही मौजूदा संघी सरकार कर पा रही है। हां पचासों साल पहले की सरकारें यह काम बिना किसी ड्रामेबाज़ी के अपना नियमित काम समझ कर किया करती थीं। आवारा कुत्तों को मार दिया जाता था और आवारा घूमते पशु को फ़ाटक में बंद कर दिया जाता था। मालिक बनकर कोई छुड़ाने आता था तो दस रुपये जुर्माना व दो रुपये प्रति दिन के चारे के लेकर छोड़ा जाता था। इसी के चलते न तो कुतों का आतंक बढ पाता था और न ही सड़कों पर आवारा गायें नज़र आती थी।इस पूरे खेल में एक अति महत्वपूर्ण कोण आर्थिक भी है। पहले गाय का बछड़ा बहुत कीमती होता था और कोई भी मालिक उसे खुला नहीं छोड़ता था; यदि गलती से छूट कर फ़ाटक तक पहुंच भी गया तो तुरन्त दस रुपया जुर्माना देकर छुड़ा लाता था। उसे नीलामी तक नहीं पहुंचने देता था। अब संकर नस्ल के बछड़ों व देसी नस्ल की बछड़ियों की कोई कीमत नहीं रह गयी है।

शेष पेज दो पर

भ्रष्ट शासकों ने लूटा रेलवे को

सूप तो बोले सो बोले छलनी बोली जिसमें 72 छेद ....

जस्टिस माथुर ने फरमाया है कि रेल्वे अपनी एक रुपए कमाई का 96.6 पैसे कर्मचारियों की पगार पर खर्च कर देती है। सुनकर बड़ा बुरा लगा। अफसोस हुआ कि केवल पगार पर कमाई का इतना खर्च ? तो जस्टिस माथुर साहब,अपनी सोच के हिसाब से आपने कर्मचारियों की पगार कम करने का सुझाव नही दिया। आपको धन्यवाद !

पर एक दो ठो सवाल हमारे मूढ़ मन में रह रह कर कुलबुला रहे हैं। आप विद्वान महापुरुष जवाब जरूर दीजिएगा। रेलवे रोजाना जो ढ़ाई करोड़ लोगों को सब्सीडाईज़ खर्च पर ढोती है,वो पैसा कहाँ से आता है ? रोजाना रेल पटरियों,मालगाड़ी और यात्री,सवारी गाड़ी, सिग्नल,इंजनों की मरम्मत में करोड़ों जो खर्च होता है,वो कहाँ से आता है ? आजादी के बाद जो दस बारह हजार किमी. नई रेल लाइनें बिछाई गईं,छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में परिवर्तन किया गया। कोचों इंजनों का नवीकरण हुआ। नए कोच,नए इंजन खरीदे गए। सिग्नलों का आधुनिकीकरण, रेल लाइनों का विद्युतीकरण जो किया गया। भाप इंजनों की जगह डीजल इंजन,डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक इंजन और उसका इंस्फ्राट्रक्चर(खंभे और तार जो लगाए गए)जो खड़ा किया गया ? उसके लिए पैसे कहाँ से आए ? हमने तो कभी नही सुना कि आम बजट में एक धेला तक रेल्वे के विकास के लिए देने का ऐलान कभी भी किया गया हो ।

पचीस साल पहले इस देश की व्यवस्था बदलकर निजीकरण को बढ़ावा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। पर रेल्वे के विकास के लिए कितनी निजी पूंजी आई। पटरियां बिछाने,उनकी मरम्मत करने,कोच, इंजन,मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का ऐलान जरूर हुआ लेकिन निजी क्षेत्र का कोई पूंजीपति इन उपक्रमों में पैसा लगाने के लिए सामने नही आया। हाँ,मुंबई मेट्रो जैसी कुछ परियोजनाएं अंबानी ने इस शर्त पर हस्तगत जरूर किया कि उसकी क्षतिपूर्ति सरकार देगी। मान्यवर जाकर पता तो करिए कि मुंबई मेट्रो का न्यूनतम किराया कितना है ? उतना कि जितने में हम 'कामचोरों' द्वारा संचालित मुंबई लोकल में आप जैसे हमारे प्रिय,आदरणीय, सम्मानित ग्राहक दिन भर में पूरी मुंबई घूम लें। उस पर तुर्रा ये भी कि लमसम,अनाप शनाप सालाना क्षतिपूर्ति अंबानी को सरकार से मिलनी ही है।

और रेलवे में कार्यरत हम 'कामचोर' तेरह लाख कर्मचारी हर साल अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाते हुए उसमें से एक डेढ़ हजार कट कर अपने कर्तव्य करते हुए अपनी जान दे देते हैं। मैं अंबानियों की मुंबई मेट्रो के अधिकतम किराए की बात नही करूँगा।

रेलवे में निजीकरण हुआ जरूर लेकिन कामगारों का। रेलवे में ठेकेदारों ने, पूंजीपतियों ने एक रुपए का निवेश नही किया। हाँ, हम 'कामचोर' कर्मचारियों द्वारा खड़ा किए गए एक गरिमामय,स्वावलंबी निकाय को नोच नोचकर खाने के लिए रेलवे में ठेकेदार लोग जरूर आ गए। तो इस नई व्यवस्था के तहत कई नियमित रेल कर्मचारियों की जगह ठेका रेल कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। ये व्यवस्था ठेकेदारों,ठेका देने वालों के मनमुताबिक और मुफीद थी क्योंकि ठेकेदारों के लिए इसमें मुनाफा था तो नियोक्ताओं के लिए कमीशन। हुजूर,माई बाप,सरकार! जाकर पता तो करिए कि कितने ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है या बिना पता किए ही हम कर्मचारियों को उनके समकक्ष रखने का इरादा कर लिया आपने ? न्याय व्यवस्था तो पूर्णतया सुबूतों,गवाहों के आधार पर फैसले करती है पर आप तो एक स्वाभिमानी, कर्मठ कौम के गले में गुलामी का पट्टा डालने का इंतजाम करने की पहल अफवाहों के आधार पर कर दी आपने ? ये क्या करने की कोशिश की है सर आपने ?

प्राईवेट सेक्टर पूरी तरह से अपने कर्मचारियों के श्रम का शोषण करके अपना मुनाफा कमाता है और लगातार अपना मुनाफा बढ़ाता रहता है। बिल्कुल सत्य। हम प्राइवेट सेक्टर के इन श्रमजीवियों के उनके न्याय प्राप्त करने के उनके संघर्ष में नैतिक और भौतिक रूप से हमेशा उनके साथ हैं। हमारा लक्ष्य उनके लिए भी न्याय प्राप्त करने का है,न कि उनके जैसे अन्याय का शिकार हो जाने का। आपने रेल्वे की सन् चौहत्तर की हड़ताल के बारे में जरूर सुना होगा। लौह महिला इंदिराजी तब प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने पाकिस्तान नामक मुल्क पर दुनिया के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी विजय हासिल करने के बाद उसके दो टुकड़े कर दिए थे और इस दरमियान भारतीय समुद्र के दरवाजे पर अमेरिका के सातवें बेड़े की दस्तक भी उनके माथे पर चिंता की एक शिकन तक नही ला पाई थी। उस लौह महिला को अट्ठाइस दिन की उस रेल हड़ताल ने हिलाकर रख दिया था।

शेष पेज दो पर

न्यायपालिका की सक्रियता से

विधायक मूलचन्द व मन्त्री रामबिलास परेशान

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'मज़दूर मोर्चा' के 16-30 जून अंक में 'करोड़ों हड़पने वाला गया जेल, विधायक मूलचन्द के हुए कुत्ते फ़ेल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि विधायक मूलचन्द के चचेरे भाई लाल चन्द को एक व्यक्ति के डेढ़ करोड़ हड़पने के मामले में जेल भेज दिया गया है।

यद्यपि विधायक के दबाव में पहले तो पुलिस उसे गिरफ़्तार ही नहीं करना चाहती थी लेकिन जब हाई कोर्ट के दबाव में करना भी पड़ा तो जुर्म की धारायें हल्की कर दी। लेकिन बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय जज ने उन हल्की धाराओं में भी जमानत लेने से मना कर दिया। सैशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने पर अब लाल चंद के परिजन डेढ़ करोड़ लौटाने की बजाय हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। बताते हैं कि 12 जुलाई को उसका केस हाई कोर्ट में लगा था। जमानत नहीं मिली, तारीख मिली 4 अगस्त की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को हड़काते हुए शीघ्र अति शीघ्र चालान पेश करने का आदेश भी दिया।

अगली तारीख पर क्या होगा, यह तो समय ही बतायेगा, परन्तु भाई लालचन्द को जेल से निकलवाने के लिये विधायक मूलचंद व उनके समधी मन्त्री राम बिलास हर तरह की जुगाड़बाज़ी में पूरे ज़ोर से लगे हैं। डेढ़ करोड़ हजम करने के लिये 10-20 लाख खर्च भी हो जायें तो कोई हर्ज़ नहीं। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार मूलचंद व रामबिलास की तिकड़मों की सूचना जब मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने भी इन्हें खूब हड़काया क्योंकि इससे सरकार एवं पार्टी की छवि बिगड़ रही है।

इस केस में गौरतलब बात यह है कि दोषी लालचन्द पर लगी हल्की धाराओं में इन स्थानीय जजों द्वारा जमानत ले लेना भी विधिसम्मत है और न लेना भी। देश का कानून जजों को दोनों ही अधिकार देता है। अब यह इन्हीं जजों पर निर्भर करता है कि वे न्याय का तकाज़ा कैसे पूरा करें। यदि दोषी को जमानत मिल जाती तो पीड़ित शिवकुमार के डेढ़ करोड़ तो चले जाते पानी में। क्योंकि जमानत मिलने के बाद बीसियों बरस तो यह आपराधिक मुकदमा चलता फ़िर रुपयों की वसूली के लिए न जाने कब तक दीवानी मुकदमा चलता, शिवकुमार के पैसे तो मरते ही मरते अदालतों के चक्कर लगते वे अलग से। इससे अदालतों का अपना बोझ भी बढ़ता ही।

यदि सभी अदालतें केवल कानून का पेटा भरने की बजाय न्याय देने को प्राथमिकता दें तो जनता में उनकी विशवसनीयता तो बढ़ेगी ही साथ में उनका अपना बोझा भी बढ़ने से रूकेगा। मौजूदा मामले से अदालतों की साख बढ़ी है।